(3)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–02 / 2016–17

उमेश्वर प्रसाद सिंह वगैरह बनाम राम नरेश सिंह वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16/5/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, फतुहाँ के पत्रांक 331 दिनांक 07.04.2016 के द्वारा प्रेषित विविध वाद सं0 01 / 2016–17 के आलोक में आरम्भ की गयी। अंचलाधिकारी, फतुहाँ के द्वारा मौजा सैदनपुर, थाना नं0 70, खाता नं0 212, खेसरा सं0 1302, रकबा 35डी0 के लिए राम नरेश प्रसाद सिंह वगैरह की कायम जमाबंदी सं0 $\frac{97}{1}$ को अवैध बताते हुए रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख भेजा गया है। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को सामान्य एवं निबंधित नोटिस की गयी। विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 21.10.2017 के दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी उपस्थिति नहीं हुए। **इस वाद कर संक्षेप में मामला है कि :–** (1) उमेश्वर प्रसाद सिंह एवं सुगन्धा सिंह के द्वारा दिनांक 18.03.2016 को अंचलाधिकारी, फतुहाँ को इस आशय का आवेदन दिया गया कि उनके द्वारा अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड, मौजा–सैदनपुर, खाता नं0 212, खेसरा नं0 1302, रकबा 35डी0 दिनांक 04.12.2010 के दो निबंधित केवालों से क्रय किया गया है तथा उनके नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम है। उक्त खेसरा सं0 1302 रकबा 35डी0 की लगान रसीद (1) नरेश सिंह, पिता स्व0 प्रदीप सिंह (2) राम चन्द्र सिंह, पिता स्व0 सकलदीप सिंह (3) भरत सिंह, पिता स्व0 विशनदेव सिंह के द्वारा गलत ढंग में जमाबंदी सं0 $\frac{97}{1}$ पर कटवा लिया गया है। राम नरेश सिंह एवं अन्य की जमाबंदी सं0 $\frac{97}{1}$ को रद्द करने का अनुरोध किया गया। (2) उमेश्वर प्रसाद सिंह एवं सुगन्धा सिंह के आवेदन पर अंचलाधिकारी, फतुहाँ के द्वारा राजस्व कर्मचारी से जांच करायी गयी। राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत खेसरा सं0 1302 रकबा 35डी0 के लिए (क) राम नरेश सिंह, पिता स्व0 प्रदीप सिंह (ख) भरत सिंह, पिता स्व0 विशुनदेव सिंह एवं (3) रामचन्द्र सिंह, पिता स्व0 सकलदीप सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{97}{1}$ पर वर्ष 2012–13 में बिना सक्षम आदेश के लगान रसीद निर्गत की गयी है। (3) अंचलाधिकारी, फतुहाँ की नोटिस पर रामनरेश सिंह वगैरह	

उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा मात्र एक मालगुजारी रसीद दी गयी। अपने नाम से जमाबंदी कायम होने का अन्य कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। जबकि आवेदक के द्वारा विक्रय पत्र की छाया–प्रति एवं अपने नाम से दाखिल खारिज आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी।

(4) अंचलाधिकारी, फतुहाँ के द्वारा विपक्षी रामनरेश सिंह वगैरह के नाम से प्रश्नगत खाता सं0 212, खेसरा सं0 1302 रकबा 35डी0 के लिए कायम जमाबंदी सं0 $\frac{97}{1}$ को बिना सक्षम आदेश के कायम बताई गयी है तथा उसे अवैध बताते हुए रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

इस न्यायालय में सामान्य/निबंधित नोटिस तथा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक 04.12.2010 के एक केवाला से उमेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत खेसरा सं0 1302 के $17\frac{1}{2}$डी0 का क्रय किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 04.12.2010 के एक अन्य केवाला से श्रीमती सुगन्धा सिंह, पति उमेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत खेसरा सं0 1302 के $17\frac{1}{2}$डी0 का क्रय किया गया। कैम्प दाखिल खारिज वाद सं0 95/2010–11 के द्वारा उमेश्वर प्रसाद सिंह एवं सुगन्धा सिंह के नाम से अलग–अलग दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है।

अभिलेख में राम नरेश सिंह वगैरह के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{97}{1}$ पर प्रश्नगत खाता सं0 212 खेसरा सं0 1302 रकबा 35डी0 की वर्ष 2012–13 की लगान रसीद सं0 776776 की छाया–प्रति संलग्न है, जिसके सम्बन्ध में अंचलाधिकारी, फतुहाँ का प्रतिवेदन है कि बिना सक्षम आदेश के उक्त लगान रसीद निर्गत की गयी है। जमाबंदी सं0 $\frac{97}{1}$ को अवैध बताते हुए रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

उपलब्ध साक्ष्य एवं अंचलाधिकारी, फतुहाँ की अनुशंसा के आलोक में राम नरेश सिंह वगैरह की मौजा सैदनपुर में कायम जमाबंदी सं0 $\frac{97}{1}$ को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अंचलाधिकारी, फतुहाँ को आदेश दिया जाता है कि जिस राजस्व कर्मचारी के द्वारा बिना सक्षम आदेश के उक्त जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत की गयी है, उसके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर चार सप्ताह के अन्दर अपर समाहर्ता, पटना को भेजें।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, फतुहाँ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/5/19

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना

16/5/19

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना